

गीदाराम उर्फ गोदाराम बनाम मैनेजिंग डायरेक्टर पावर ग्रिड कारपोरेशन वी०
दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं० 307/2014

निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प-जोरावरनगर के मजमे-ए-आम में सुनाया गया।



(ब्रह्म लाल जाट)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्प:-जोरावर नगर